

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 07.03.25

रीडर/2025/1034

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

भीमाराम पुत्र
केसराराम जाति
कुमावत निवासी
रोहिली तहसील
बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर


1 नारायणराम पुत्र दलाराम वगैराह जातियान
कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-727/2024

दिनांक- 04/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 851/188 रकबा 5.3661 हेक्टर व खसरा संख्या 852/196 रकबा 0.1619 हेक्टर खसरा संख्या 931/125 रकबा 2.5738 हेक्टर व मौजा कपूरडी पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 873/187 रकबा 2.6547 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड-अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1035-38

दिनांक- 07.03.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भीमाराम पुत्र केसराराम जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण नारायणराम पुत्र दलाराम वगैराह जातियान कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

